भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED R

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR HD 530428

36 जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लोक सभा सदन का नाम के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ - पत्र

भाग - क

मैं मो0 इस्तीयाक पुत्र मेंहदी हुसैन आयु 49 वर्ष जो साकिन- दरामपुर, डाकघर-समसपुर थाना - बेलागंज जिला - गया पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ ।

(1) मैं ऑल इंडिया त्रिणमुल काँग्रेस (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी / एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड रहा है ।

(2) मेरा नाम 232 बेलागंज, (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 60 के क्रम सं0 561 पर प्रविष्ट है ।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं0 9973443389 है ।
मेरा ई - मेल आई डी (यदि कोई हो तो) शून्य है ।
एवं मेरा सोशल मीडियाएकाउंटस (यदि कोई हो) शून्य है ।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरा और आय - कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति -

क्रम सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	AGIPA9763G	2013-14	2,81,000/-
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

सत्यापन

मैं उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय - वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ओर इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है । मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरूद्व उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्वि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्वि का मामला या लंबित मामला नहीं है ।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है ।

आज तारीख 26/03/2014 को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

अधिवक्ता
26/03/2014

नोटरी पब्लिक 26/03/14
जहानाबाद ।

NOTARY
Jehanabad

Authorised U/S 1952 Rule
53 Sec. 3 Notary ACT
1956 Rule (8/4) and 4K

VIJAY KUMAR SINGH * Govt. of Bihar * Jehanabad
NOTARY
NF NO. 7347 1/13

(5). मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हू जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरूद्व लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराए) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आराप(आरोपों) की विरचना की गइ	शून्य
(ड)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गइ है/है	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरूद्व लंबित है/है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वाक्त

मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न}-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	(1) श्री मो० सलीम, न्या. दं. प्रथम श्रेणी, पटना। पटना गांधी मैदान थाना कांड सं0- 105/05 (2) कुमारी विजया न्या. दं. प्रथम श्रेणी, पटना परि. 244/07, निगरानी सं0 - 120/13
(ख)	इन मामलों के ब्योरे जहा न्यायालय ने सज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधो) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	(1) 414, 420, 467, 468/34 भा० द० वि० (2) 420, 467, 468, 120(B) भा० द० वि०
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशो) क विरूद्व पुनरीक्षण के लिए फाइल की गइ अपील(अपीलो)/आवेदन(आवेदनो)(यदि कोइ हो) के ब्यौरे	शून्य

VIJAY KUMAR SINGH NOTARY Regd. No. 7347/13 Jehanabad Govt. of Bihar

(6). मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्दोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्दोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलो में मुझे सिद्ददोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्योरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधो) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्दोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्ददोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोइ अपील फाइल की गइ थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7). मैं ~~मेरे~~, मेरे ~~पति या~~ पत्नी और सभी आश्रितों की आरितयों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम मे आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 -यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने है।

VIJAY KUMAR SINGH NOTARY Jehanabad Govt. of Bihar

क्रम सं	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	100000/=	50000/=	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	(1) SBI WEST GANDHI MAIDAN 7930=20 (2) BOMBAY MER. C. BANK PATNA 1083=00 शून्य	BOMBAY MERCANTILE CO. BANK PATNA 3891=00 शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	शून्य	शून्य	L.I.C. 600000=00 सानिया अहमद	L.I.C. 800000=00 साइना अहमद	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुए)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	सोना 5 तोला 150000=00 चाँदी 50 तोला 100000=00	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	109013=00	303891=00	600000=00	800000=00	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	2.55 एकड़, दरामपुर खाता नं0 1,2,3, 30, 31, 55 प्लॉट नं0 101	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(एकड में कुल माप)	114, 119, 179, 122, 203, 204, 211, 289, 369, 368, 472, 504, 851, 863, 956	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	1062, 1085, 988 नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	18.03.2010	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	150000=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2000000=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि - अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	शून्य	आवासीय खाता-437, 438, प्लॉट नं0. 661 संदलपुर पटना	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	3.905 डि.	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शून्य	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	17.03.2011	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	519000=00	शून्य	शून्य	शून्य

VIJAY KUMAR SINGH NOTARY Jehanabad Govt. of Bihar NF No. 7347/1/12

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	5000000=00	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	2150000=00	5519000=00	शून्य	शून्य	शून्य

(8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-
(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आय-कर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	धनकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(9). वृति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं....चिकित्सक....

(ख) प्रति या पत्नी....गृहिणि....

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

मैट्रिक - बि० वि० प० स० - बालापुर हाई स्कूल - वर्ष - 1982 (S)

बी० यू० एम० एस० - बाबा साहेब भी. आर. अं. बिहार

विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर - वर्ष - 1995

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11). भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी मो० इस्तीयाक		
2	डाक का पता	ग्राम- दरामपुर, पो०- समसपुर थाना - बेलागंज, गया - 804403 (बिहार)		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	38- गया अ० जा० लोकसभा 232- बेलागंज वि० सभा (बिहार)		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खडा किया है(अन्यथा स्वंतत्र लिखे)	ऑल इण्डिया त्रिणमुल कॉंग्रेस		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए है।	शून्य		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है(उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	(1) पटना गांधी मैदान थाना कांड सं०-105/05 धारा- 414, 420, 467, 468/34 भा० द० वि० (2) परिवाद पत्र सं०-244/07 मो० आशिक बनाम चन्द्रिका सिंह वगैरह धारा - 420, 467, 468, 471, 406, 120(B) भा. द. वि.		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्वदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) मे निर्दिष्ट अपराधों के सिवांए)	शून्य		
7		स्वयं का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	AGIPA 9763G	2013-14	281000=00
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे(रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां(कुल मूल्य)	109013=20	303891=00	600000/=	800000/=	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	2150000=00	5519000=00	शून्य	शून्य	शून्य
	I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत 150000=00	519000=00	शून्य	शून्य	शून्य
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/निर्माण लागत(यदि लागू हो) शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) 2000000=00	5000000=00	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां(कुल मूल्य) शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i)	सरकारी शोध्य(कुल0 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल) शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य(कुल0 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल) शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11 उच्चतम शैक्षिक अर्हता - बी० यू० एम० एस०

प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरूद्व उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्वि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोइ दोषसिद्वि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26 मार्च 2014 को सत्यापित किया गया।

VIJAY KUMAR SINGH NOTARY Jehanabad Govt. of Bihar

NOTARY Jehanabad 26/03/14

अभिसाक्षी

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोडे, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोडा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जॉच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये है, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेगें। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोडा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/~~संख्यायें~~ है/~~हैं~~ 9973443389

मेरा इ-मेल आई0डी(अगर कोई हो) है शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउटस(अगर कोई हो) है शून्य